

संख्या - A-28012/2/2013—CLS-I

भारत सरकार

श्रम मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांकित 8 जुलाई, 2002

### कार्यालय ज्ञापन

**विषय:-** केन्द्रीय श्रम सेवा अधिकारियों के लंबित एसीआर के संबंध में।

यह देखा गया है कि केन्द्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों के संबंध में एसीआर रिपोर्ट समय पर पूरा करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा दोबारा चेतावनी के बावजूद भी यह पूरा नहीं किया गया है जहाँ पर अधिकारी तैनात हैं संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा मंत्रालय को यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। इन एसीआर रिपोर्ट को पूरा करने के लिए मंत्रालय के संदर्भों के साथ इस तरह के लंबित एसीआर का ब्यौरा अनुबंध-1 पर देखा जा सकता है। इन अधिकारियों में से कई गैर कार्यात्मक उन्नयन/ पदोन्नति के स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं और लंबित एसीआर मान्य अवधि के अंतर्गत आ रहे हैं।

2. कार्यालय ज्ञापन 16/02/2009 में डीओपीएडंटी की यह सूचना प्रदान करता है कि सभी मंत्रालयों / विभागों से अनुरोध किया जाता है कि सभी संबंधित सूचनाओं ध्यान में रखें, उपरोक्त निर्देश वर्ष 2008-09 तक के एसीआर के लिए लागू होंगे। यदि पिछले वर्ष का कोई सीआर रिपोर्ट पूरा नहीं हुआ है तो संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय और मंत्रालयों/विभागों से संबंधित संयुक्त सचिव के मामले में संगठन के प्रमुख यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय कर सकते हैं कि सीआर फ़ाइल अगले 6 महीनों के अंदर या तो प्रासंगिक सीआर के साथ या वैध कारण के लिए आवश्यक 'बिना किसी रिपोर्ट प्रमाणपत्र' के पूरा किया गया है।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अंतिम प्रयास के एक उपाय के रूप में, संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से अनुरोध किया जाता है कि इन केन्द्रीय श्रम सेवा अधिकारियों के संबंध में दिए गए अवधि में पूर्ण किये गए संलग्नक में सूचीबद्ध एसीआर प्राप्त करें और इस रिपोर्ट को 26/07/2013 तक मंत्रालय में प्रस्तुत करें ताकि उनकी उपयुक्तता का आकलन करने

के लिए डीपीसी /एनएफयू जल्द से जल्द बुलाई जा सकें. यदि इन अवधि के लिए एसीआर विभिन्न कारणों से नहीं लिखा जा सकता है, तो ऐसे मामले में 'कोई रिपोर्ट' प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है यदि निर्धारित दिनांक ((26/07/2013) में कोई जवाब नहीं मिलता है तो आगे की कार्रवाई प्रासंगिक निर्देशों के अनुसार इस मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

4. इस कार्यालय ज्ञापन की प्रतिलिपि भी नीचे दी गई लिंक के अनुसार इस मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है:

...

केंद्रीय श्रम सेवा  
सीएलएस अधिकारी का एपीएआर

5. कृपया इस 'प्रथम प्राथमिकता' पर संसाधित करें।

(बाबू चेरियन)

भारत सरकार के उप सचिव  
टेलीफोन नं. 23753079

प्रेषित

1. लंबित एसीआरएस को पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारी के साथ मामले का अनुकरण करने के लिए सलाह के साथ संबंधित अधिकारी
2. सीएलसी(सी), श्रम एवं रोजगार, नई दिल्ली
3. डीजीएलडब्ल्यू, श्रम एवं रोजगार, नई दिल्ली
4. श्री एल.एन. शर्मा, एलडब्ल्यूसी(सी), महानिदेशक के कार्यालय, आयुध निर्माण बोर्ड, 10 ए, एस.के. बोस मार्ग, , कोलकाता
5. एलडब्ल्यूसी(सी), डीजीक्यूए, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
6. महानिदेशक, निर्माण, सीपीडब्ल्यूडी, निर्माण भवन, नई दिल्ली
7. ओआरडी सेवाओं के जनरल निदेशालय (डीजीओएस सचिवालय), आयुध शाखा के मास्टर जनरल, रक्षा मंत्रालय (सेना) के आईएसक्यू, नई दिल्ली- 110011
8. निदेशक (मुद्रण), मुद्रण निदेशालय, शहरी विकास, निर्माण भवन, नई दिल्ली
9. एडमिरल अधीक्षक, नेवल (नौसेना) आर्मानेंट डिपो, विशाखापट्टनम
10. निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली -110001
11. नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेवेली, तमिलनाडु।

**अनुबंध-**

!

एनएफयू/डीपीसी के अनुदान के लिए सीएलएस की एसटीएस ग्रेड के अधिकारियों की एसीआर/एपीएआर की अनुपलब्धता की स्थिति।

क्र० सं०	अधिकारी का नाम और वर्तमान पोस्टिंग का स्थान	फोल्डर संख्या	एसीआर/एपीएआर की अनुपलब्धता	इस अवधि के दौरान पोस्टिंग का स्थान	संबंधित विभाग /यदि कोई कारण हो	एसीआर/एपीएआर के संपादन के लिए मंत्रालय द्वारा निर्गमित संचार.
1.	बी.बी.भटनागर, उप सीएलसी(सी), मुंबई	बी-24	03/04 से 09/04	सीओडी, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली	डीजीओएस, नई दिल्ली	(i) कार्यालय ज्ञापन संख्या-A-28021/1/2009-सीएलएस-1 दिनांक 30/11/2010 (ii) कार्यालय ज्ञापन संख्या- A -28021/1/2011-सीएलएस-1 दिनांक 01/04/2011 (iii) एस (एलएंडई) डी.ओ,पत्र सं०- A 28021/1/2011 सीएलएस-1 दिनांक 30/05/11 (iv) जेएस(सीपी) के डी.ओ.पत्र सं.- A 28021/1/2011 सीएलएस-1 दिनांक23/12/11, (v) कार्यालय ज्ञापन संख्या- A-28021/1/2011-सीएलएस-1 दिनांक 28/12/2011 (vi) जेएस(सीपी) के डी.ओ.सं० A-28021/1/2011 सीएलएस-1 दिनांक06/02/12 (vii) कार्यालय ज्ञापन संख्या- A-28021/1/2011-सीएलएस -1 दिनांक 25/03/2012 (viii) कार्यालय ज्ञापन संख्या- A-28021/1/2011-सीएलएस-1 दिनांक- 03/10/2012
			09/04 से 03/05	आरएलसी(सी), अजमेर	सीएलसी (सी) का कार्यालय	
2.	एम.धर्मराज एएलसी (सी)हैदराबाद	एम-31	2000-01 2003-04	एडब्लूसी(सी) मधुरई	डीजीएलडब्लू	
			1999-2000 1998-99	एडब्लूसी(सी) मधुरई(*)		
3.	पी.के.रथ आरएलसी(सी), भुबनेश्वर	पी-21	05/11/07 से 31/03/07	सीपीडब्लूडी,कलकत्ता	डीजीकार्य सीपीडब्लूडी,निर्माण भवन,नई दिल्ली	
4.	दया शंकर खोईवाल,वरंगॉच के एएलडब्लूसी(सी )	डी-15	01/04/01 - 23/09/01 2003- 2004	ओइएफ,कानपुर	ओएफबी,कलकत्ता	

5.	के.एम.काजी उप सीएलसी(सी) मुख्यालय नई दिल्ली	के-3	04/07 से 11/07 तक	ओसीएफ, शाहजहांपुर	ओएफबी,कलकत्ता	
6.	अनिल कुमार सिंह-ii एएलडब्ल्यूसी(सी),सीआइपी, रांची	ए-36	2005-06	ओसीएफ, चंडीगढ़	ओएफबी,कलकत्ता	
7.	ए.के.सेन डीएलडब्ल्यूसी (सी),आरएफ, इशापोरे	ए-17	1/4/07 से 29/07/07	जीसीएफ,जबलपुर	ओएफबी, कलकत्ता	(i) कार्यालय ज्ञापन संख्या-A-28021/1/2009-सीएलएस-1 दिनांक 30/11/2010 (ii) कार्यालय ज्ञापन संख्या- A -28021/1/2011-सीएलएस-1 दिनांक 01/04/2011 (iii) एएस (एलएंडई) डी.ओ.पत्र सं- A 28021/1/2011 सीएलएस-1 दिनांक 30/05/11 (iv) जेएस(सीपी) के डी.ओ.पत्र सं.- A 28021/1/2011 सीएलएस-1 दिनांक 23/12/11, (v) कार्यालय ज्ञापन संख्या- A-28021/1/2011-सीएलएस-1 दिनांक 28/12/2011 (vi) जेएस(सीपी) के डी.ओ.सं० A-.28021/1/2011 सीएलएस-1 दिनांक 06/02/12 (vii) कार्यालय ज्ञापन संख्या- A-28021/1/2011-सीएलएस-1 दिनांक 25/03/2012 (viii) कार्यालय ज्ञापन संख्या- A-28021/1/2011-सीएलएस-1 दिनांक-03/10/2012
8.	आर बी प्रसाद एएलसी(सी),मुंबई	आर-56	1/4/07 से 19/07/07	एचइएफ, किरकी	ओएफबी, कलकत्ता	
9.	सुनील कुमार एएलसी(सी),शहडोल	एस-75	2005-06	सीक्यूए,कानपुर		
10.	हरमन कुजूर डीएलडब्ल्यूसी (सी),ओएफ,खमरिया	एच-9	1/4/06 से 31/10/06	एएलडब्ल्यूसी (सी),सीक्यूए (डब्ल्यू) ,जबलपुर	डीजीक्यूए,नई दिल्ली	
11.	सुब्रता शाह आरएलसी(सी),पटना	एस-58	1/4/07 से 18/10/07	एसक्यूएइ (जीएस),कलकत्ता	डीजीक्यूए,नई दिल्ली	
12.	वी.आर शर्मा डब्ल्यूसी(सी),इल्लाहाबाद	वी-15	2007-08	आइएसपी,नासिक	मुद्रण निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय,नई दिल्ली	
13.	वी.के. शर्मा -iii एएलसी(सी),मुख्यालय,नई दिल्ली	वी-23	1998-99 1997-98 1996-97	एएलडब्ल्यूसी (सी),एलएचएमसी, दिल्ली(*)	स्वास्थ्य मंत्रालय	
14.	एन.एस.वी.अरिवारासन डीएलडब्ल्यूसी(सी), ओसीएफ, अवादी	एन-20	1998-99	एनएलसी, नेवेली(*)	नेवेली लिगनाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड नेवेली	

15 .	विजयनंदा डीएलडब्ल्यूसी(सी), टीएफ, मुंबई	वी-29	1998-99	एचएपीपी तिरुचिरापल्ली(*)	ओएफबी, कलकत्ता	
------	--	-------	---------	-----------------------------	----------------	--

(\*) मान्य अवधि में उनके सीआर फ़ाइल में 'कोई रिपोर्ट प्रमाणपत्र' नहीं होने के कारण इन एसीआर रिपोर्ट की आवश्यकता होती है और इसलिए मूल्यांकन के लिए पांच एसीआर रिपोर्ट बनाने के लिए पिछले एसीआर का एसीआर रिपोर्ट उपरोक्त नियमों के अनुसार पूरा किया जाता है।

